

31/8/22

वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता को रोक-रूक कर 3 बार आवाज लगवाए गए कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 RTA इसी स्तर पर अदम पेशी, अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निगूँति होकर गम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



अधिवक्ता (राजस्व)
श्री कटुपपुर

